*ISSN:3048-6505 (Online)*
*Shodh Samarth- Research Journal of Commerce, Management & Economics*
*Vol.2(2), August 2025, pp. 380-394*

# प्रशासनिक स्तर पर महिला सुरक्षा प्रबंधन : चुनौतियाँ और समाधान (उत्तराखंड के पौडी गढ़वाल जिले के सन्दर्भ में)

**तनु मित्तल**
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नई टिहरी
**स्मिता बडोला**
पं0ल0म0श0 परिसर, ऋषिकेश, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय

## सारांश

वर्तमान समय में महिला सुरक्षा प्रबंधन एक गंभीर मुद्दा है। जिसे हमें तत्परता से हल करना चाहिए। महिलाओं को ऐसा स्वस्थ वातावरण प्रदान करना चाहिए जिसमें वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। उन्हें न्याय मिलना चाहिए और हर तरह के अन्याय और उत्पीड़न से मुक्ति मिलनी चाहिए। जैसे–जैसे दुनिया तेजी से नगरीकरण की ओर बढ़ती जा रही है नगरीय स्थानो पर लिंग आधारित हिंसा भी बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में महिलाओं के खिलाफ हिंसक अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। महिला सुरक्षा प्रबंधन आज एक प्रमुख सामाजिक समस्या है, जिसे हल करने के लिए सामाजिक संरचना में महिलाओं को समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाना चाहिए, और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। महिला सुरक्षा की बात करते समय हमें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों पहलुओं की ओर ध्यान देना चाहिए। शारीरिक सुरक्षा के लिए हमें लड़की और महिलाओं की ताकत और क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए। उनमें सेल्फ डिफेंस की क्षमता और आत्मनिर्भर बनाने के लिए तत्पर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सुरक्षित और आधिकारिक माहौल का संचालन करने के लिए सरकार और समाज को और मजबूत कानून का निर्माण और उनका पालन करना सुनिश्चित करना चाहिए। महिला सुरक्षा प्रबंधन वर्तमान में सर्वव्यापी अवधारणा है। जिसमें सभी रणनीतियों और उपकरण शामिल है जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा को कम कर सकते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में महिला सुरक्षा प्रबंधन, चुनौतियां और प्रशासनिक स्तर पर समाधान को चुना गया है। साथ ही जिला अपराध रिकार्ड ब्यूरो (DCRB) द्वारा प्राप्त 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक के आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़ों के रूप में प्रयुक्त किया गया है। साथ ही प्रस्तुत अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया है कि प्रशासनिक स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या–क्या प्रावधान किए गए हैं और उनका महिला अपराधों पर कितना असर हुआ है।

**मुख्य शब्दः** महिला सुरक्षा, सुरक्षित, अन्याय, शारीरिक सुरक्षा, जिला अपराध रिकार्ड ब्यूरो

## प्रस्तावना

महिलाओं के प्रति हम सब की सोच और नजरिए में पिछले कुछ दशक में गजब का सकारात्मक बदलाव आया है इन बदलाव का मतलब यह नहीं है कि पुरुष और महिलाएं बराबरी पर पहुंच गई है। समानता की यह लड़ाई अभी काफी लंबी चलनी है। दुनिया के कई देशों में आज भी महिलाएं अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। इनमें अपना देश भारत भी शामिल है। इससे बड़ा दुख तो क्या हो सकता है कि आज भी अधिकांश महिलाएं अपने अधिकार और हक के बारे में सही तरीके से जानती तक नहीं, जबकि होना तो यह चाहिए कि महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी रहनी चाहिए। महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कर रही हैं। जमीन से लेकर आसमान में ही नहीं अंतरिक्ष में भी उनके कदमों की छाप मौजूद है। जिस तरह से उनका कद बड़ा है, तो अब वह अपने हक से और उनसे जुड़े कानून के बारे में भी जानना चाहती हैं।

महिला सुरक्षा की परिभाषा इसमें सर्वप्रमुख सुरक्षित सार्वजनिक स्थान बनाना शामिल है, जहां महिलाएं स्वतंत्र रूप से घूम सके। महिला दुर्व्यवहार, घरेलू हिंसा, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से मुक्ति भी महिला सुरक्षा के आवश्यक तत्व हैं, वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता के साथ–साथ आत्म सम्मान की भावना को भी महिलाओं की सुरक्षा के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाता है। महिलाओं के सुरक्षा में गरीबी से मुक्ति और यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि महिलाओं को पानी और स्वच्छता की सेवाओं के साथ–साथ अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं तक सुरक्षित पहुंच सके। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न रणनीतियां और नीतियों में सबसे पहले अपराध या उत्पीड़न को रोकना होना चाहिए। महिला सुरक्षा को महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण सुनिश्चित करने के रूप में परिभाषित किया गया है जहाँ वे हिंसा, उत्पीड़न, और असमानता से मुक्त हो सकें। यह न केवल शारीरिक सुरक्षा बल्कि मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा को भी शामिल करती है। (misra, seema 2020) उन परिस्थितियों का वर्णन करता है जहां महिलाओं को अपने घरों में ही खतरे का सामना करना पड़ता है और कैसे समाज, कानूनी व्यवस्था, और व्यक्तिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। (Mary P. Koss, Laura Heise, Lori Heise, 1994) "No Safe Place: Women and Domestic Violence" में महिला सुरक्षा को महिलाओं के मानवाधिकारों के संदर्भ में देखा गया है। "Gender Violence and Women's Rights in India" में महिला सुरक्षा को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा गया है, जो न केवल शारीरिक हिंसा बल्कि सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक शोषण के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है।(Kalpana Kannabiran, 2021)

## महिला सुरक्षा के अधिकार

• **गोपनीयता का अधिकार** आपराधिक प्रक्रिया की संहिता की धारा 164 के तहत बलात्कार के शिकार महिला जिला मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कर सकती है, और जब मामले की सुनवाई चल रही

हो तो वहां किसी और व्यक्ति को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। वैकल्पिक रूप से यह वह एक ऐसे सुविधाजनक स्थान पर केवल एक पुलिस अधिकारी और महिला कांस्टेबल के साथ बयान रिकॉर्ड कर सकती है। पुलिस अधिकारियों के लिए एक महिला की निष्ठा को बनाए रखना जरूरी है, और यह भी जरूरी है कि बलात्कार पीड़ित का नाम और पहचान सार्वजनिक न होने पाए। (Indian Penal Code, IPC 228 A)

• **देर से भी शिकायत दर्ज करने का अधिकार** बलात्कार या छेड़छाड़ की घटना में काफी समय बीत जाने के बावजूद पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती। बलात्कार किसी भी महिला के लिए एक दुरूखद घटना है,इसलिए उसका सब में भी जाना और तुरंत इसकी रिपोर्ट न लिखवाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वह अपनी सुरक्षा और प्रतिष्ठा के लिए देर से शिकायत दर्ज सकती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि बलात्कार या छेड़छाड़ की घटना होने और शिकायत दर्ज करने के बीच काफी वक्त बीत जाने के बाद भी एक महिला अपने खिलाफ यौन अपराध का मामला दर्ज कर सकती है। (Indian Penal Code, IPC 473)

• **सुरक्षित कार्यस्थल का अधिकार** अधिक से अधिक महिलाओं के कार्य क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु यह सबसे अधिक प्रासंगिक कानून में से एक है। प्रत्येक ऑफिस में एक यौन उत्पीड़न शिकायत समिति बनाना नियोक्ता का कर्तव्य है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी एक दिशा निर्देश के अनुसार यह भी जरूरी है, कि समिति का नेतृत्व एक महिला करें और सदस्यों के तौर पर उसमें 50 फीसदी महिलाएं ही शामिल हो। साथ ही समिति के सदस्यों में से एक महिला कल्याण समूह से भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक स्थाई कर्मचारी है या नहीं यहां तक की पार्ट टाइम कर्मचारी ऑफिस में आने वाली कोई भी महिला ऑफिस में साक्षात्कार के लिए गई महिला का भी उत्पीड़न किया गया है तो वह इस समिति के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकती है। ऑफिस में उत्पीड़न की शिकार महिला घटना के 3 महीने के भीतर इस समिति को लिखित शिकायत दे सकती है। यदि आपकी कंपनी 10 या अधिक कर्मचारी हैं उनमें से केवल एक महिला है तो भी कंपनी में समिति का गठन करना आवश्यक है। (कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013)

• **जीरो एफआईआर का अधिकार** एक महिला को ईमेल या पंजीकरण डाक के माध्यम से शिकायत दर्ज करने का विशेष अधिकार है। यदि किसी कारणवश वह पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती है, तो वह एक पंजीकृत डाक के माध्यम से लिखित शिकायत भेज सकती है। जो पुलिस उपायुक्त या पुलिस आयुक्त के स्तर से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को संबोधित की गई हो। इसके अलावा एक बाल बलात्कार पीडित जीरो एफआईआर के तहत किसी भी पुलिस स्टेशन में अपने शिकायत दर्ज कर सकती है। कोई भी पुलिस स्टेशन इस बहाने से फिर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता कि वह क्षेत्र उनके दायरे में नहीं आता।

• **इंटरनेट पर सुरक्षा का अधिकार** अपनी सहमति के बिना आपकी तस्वीर या वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करना अपराध है। किसी भी माध्यम से इंटरनेट या व्हाट्सएप पर साझा की गई आपत्तिजनक तस्वीर या खबर महिला के बुरे सपने से कम नहीं होती। उसकी उसे वेबसाइट से सीधे संपर्क करने की आवश्यकता है। जिसने अपनी तस्वीर वह वीडियो को प्रकाशित किया है। यह वेबसाइट कानून के अधीन है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 और 66 आई के बिना किसी भी व्यक्ति की अनुमति के उसके निजी क्षणों की तस्वीर को खींचने प्रकाशित या प्रसारित करने को निषेध करती है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 की धारा 354 सी के तहत किसी महिला की निजी तस्वीर को बिना अनुमति के खींचना या साझा करना अपराध माना जाता है।

• **समान वेतन का अधिकार** समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 समान कार्य के लिए पुरुष और महिला को सामान भुगतान का प्रावधान करता है। यह भारतीय सेवा शर्तों के महिलाओं के खिलाफ लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है

महिला कानून का महत्व समाज के विभिन्न पहलुओं में गहराई से महसूस किया जा सकता है। यह न केवल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है बल्कि समाज में समानता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महिला कानून का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव को रोकना है और उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है। महिला कानून का महत्व समाज में महिलाओं के अधिकारों और गरिमा की रक्षा करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये कानून महिलाओं को कानूनी सुरक्षा, सामाजिक समानता, और न्याय सुनिश्चित करने में सहायक हैं। समाज के विकास और समृद्धि के लिए आवश्यक है कि हम महिला कानूनों की प्रभावशीलता को समझें और उन्हें लागू करने में समर्थन प्रदान करें। इस प्रकार, महिला कानून न केवल कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।

पटेल, अनीता (2002) ने "महिला उत्पीडन का सिलसिला कब तक" ने शोध–पत्र में घरेलू हिंसा से पीडित महिलाओं की मानसिक स्थिति और उनके बच्चों के विकास में हिंसात्मक परिवेश में नकारात्मक प्रभाव का वर्णन किया है।

सिंह, अनुपम (2011) महिला सशक्तिकरण के अधिनियम का सामाजिक चेतना पर प्रभाव। इन्होनें अपने अध्ययन में बताया कि महिलाओं को भरण पोषण, उत्तराधिकारी, पी०एन०डी०टी० एक्ट तथा घरेलू हिंसा सम्बन्धी अधिनियमों की जानकारी हो तथा वे उनका आवश्यकता होने पर प्रयोग कर सकें।

सिंह एवं विश्नोई (2015) ने आजमगढ़ जनपद के सन्दर्भ में, अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो से ज्ञात हुआ कि सर्वाधिक घरेलू हिंसा का शिकार निम्न सामाजिक–आर्थिक स्थिति की महिलाएं होती है। अधिकांश महिलाएं कम शैक्षिक  योग्यता को घरेलू हिंसा का मुख्य कारण मानती है। अतः महिलाओं को उच्च शिक्षित करके

उन्हे आत्मनिर्भर बनाना और अधिकारों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। सिंह, धर्मेन्द्र कुमार (2016) ने ‘‘महिला यौन उत्पीडन:समाजशास्त्री अध्ययन (वाराणसी नगर के महिलाओं पर आधारित)’’ शीर्षक यह शोध कार्य वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर (उ0प्र0) से किया। उनके अध्ययन के अनुसार आज विज्ञान हो या समाजशास्त्र, पर्यावरण हो या अंतरिक्ष यात्रा, राजनीति हो या उद्योग, प्रत्येक क्षेत्र में नारी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही।।

## उद्देश्य

- पौड़ी जिले में महिला सुरक्षा प्रबंधन की वास्तविक स्थिति का अध्ययन।
- वर्ष 2023 में घटित महिला अपराधों को ज्ञात करना।

## उपकल्पना

- प्रशासनिक जागरूकता से महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में कमी आई है।
- महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों में बलात्कार की घटनाएं अधिक होती हैं।

## अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन अंतर्वस्तु विश्लेषण पर आधारित है। इसमें जिला अपराध रिकार्ड ब्यूरो (DCRB) पौड़ी उत्तराखंड के द्वारा 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक के आंकड़ों को अध्ययन हेतु उपयोग में लाया गया है। अतः यह अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक तथ्यों पर आधारित है।

जिला अपराध रिकार्ड ब्यूरो (DCRB)हर वर्ष के अपराधों के आंकड़ों को राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो को प्रेषित करता है जिसे वह केंद्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो को संकलित करके भेज देते हैं।

## चर्चा और परिणाम

### महिला सुरक्षा प्रबंधन में उत्तराखंड पुलिस की भूमिका

- **विशेष महिला सेल और इकाइयाँ:** उत्तराखंड पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच और निवारण के लिए विशेष महिला सेल और इकाइयाँ स्थापित की हैं। ये इकाइयाँ महिलाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और अपराधों की त्वरित और प्रभावी जाँच करती हैं।
- **महिला शिकायत प्रकोष्ठ:** पुलिस थानों में महिला शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं, जहां महिलाएँ अपनी समस्याओं और शिकायतों को बिना किसी संकोच के दर्ज करवा सकती हैं। ये प्रकोष्ठ महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से लेते हैं और उन्हें त्व रित न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं।

- **महिला पुलिस अधिकारियों की नियुक्तिः** महिला पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है ताकि वे विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित मामलों में संवेदनशीलता और समझ के साथ काम कर सकें। यह महिलाओं को अधिक सहजता और समर्थन प्रदान करता है जब वे पुलिस के पास जाती हैं।
- **जागरूकता और शिक्षा अभियानः** उत्तराखंड पुलिस महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए शिक्षा अभियान चलाती है। इन अभियानों के माध्यम से महिलाएं अपने अधिकारों, सुरक्षा उपायों, और कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी प्राप्त करती हैं।
- **महिला सुरक्षा हेल्पलाइनः** उत्तराखंड पुलिस ने विशेष महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर प्रदान किए हैं,जिनके माध्यम से महिलाएँ आपातकालीन स्थिति में तुरंत सहायता प्राप्त कर सकती हैं। ये हेल्पलाइन नंबर 24•7 उपलब्ध रहते हैं।
- **सुरक्षित कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थल**: पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर नियमित गश्त की जाती है, विशेष रूप से ऐसे स्थानों पर जहाँ महिलाएं काम करती हैं या जहाँ भीड़ होती है। यह महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **सामाजिक कार्यक्रम और समर्थनः** उत्तराखंड पुलिस स्थानीय समुदाय और संगठनों के साथ मिलकर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करती है, जो महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के मुद्दों पर फोकस करते हैं। ये कार्यक्रम महिलाओं को समर्थन और सुरक्षा प्रदान करने में मदद करते हैं।
- **सामाजिक पुलिसिंग और सशक्तिकरः** उत्तराखंड पुलिस ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई सामाजिक पुलिसिंग पहल की हैं, जिसमें महिला सेल और शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना शामिल है। इसके तहत महिलाओं को कानूनी जानकारी, आत्म–सुरक्षा तकनीक, और मनोवैज्ञानिक समर्थन प्रदान किया जाता है।
- **कानूनी सहायता और केस मैनेजमेंटः** पुलिस बल महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न कानूनी संगठनों और सलाहकारों के साथ सहयोग करती है। महिला सुरक्षा से संबंधित मामलों में केस मैनेजमेंट टीमों का गठन किया गया है, जो केस की निगरानी और त्वरित निवारण सुनिश्चित करती हैं।
- **समन्वय और सहयोगः** उत्तराखंड पुलिस महिला सुरक्षा के मामलों में विभिन्न सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों के साथ समन्वय और सहयोग करती है। इसमें महिला संगठनों, वकीलों, और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के साथ साझेदारी शामिल है, जो व्यापक सुरक्षा और समर्थन प्रणाली को सुदृढ़ करती है।

- **पुलिस प्रशिक्षण और संवेदनशीलता:** महिला पुलिस अधिकारियों और अन्य पुलिसकर्मियों को नियमित रूप से महिलाओं के मुद्दों और संवेदनशीलता के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण उन्हें महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों को अधिक समझदारी और पेशेवर तरीके से संभालने में मदद करता है।
- **डिजिटल और साइबर सुरक्षा:** उत्तराखंड पुलिस ने महिलाओं की डिजिटल और साइबर सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है। इसके तहत साइबर क्राइम यूनिट्स की स्थापना की गई है जो ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर स्टॉकिंग, और अन्य डिजिटल अपराधों के मामलों की जांच करती हैं।
- **फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और विशेष अदालतें:** महिला सुरक्षा के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए उत्तराखंड में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और विशेष अदालतों की व्यवस्था की गई है। यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को न्याय शीघ्रता से मिले और अपराधियों को दंडित किया जा सके।
- **महिला सुरक्षा पर विचार–विमर्श और नीतिगत सुधार:** उत्तराखंड पुलिस नियमित रूप से महिला सुरक्षा पर विचार–विमर्श आयोजित करती है और नीतिगत सुधारों के लिए सुझाव देती है। इन चर्चाओं में विशेषज्ञ, समाजसेवी, और महिलाओं के अधिकारों के अधिवक्ता शामिल होते हैं, जो महिला सुरक्षा के मामलों में सुधार के लिए काम करते हैं।
- **सामुदायिक जुड़ाव और प्रभावी संचार:** पुलिस ने सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए जनसंपर्क और प्रभावी संचार की रणनीतियाँ अपनाई हैं। इसमें लोकल मीटिंग्स, जनसंपर्क अभियान, और महिलाओं के अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने वाले कार्यक्रम शामिल हैं।

उत्तराखंड पुलिस द्वारा विगत कई वर्षों से महिला सुरक्षा को लेकर गंभीरता से कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस में उत्तराखंड पुलिस ऐप, गौरा शक्ति ऐप, डायल 112, प्रोजेक्ट आवाज, पिक यूनिट, ऑपरेशन मुक्ति और 24•7 व्हाट्सएप हेल्पलाइन सर्विस के माध्यम से महिला सुरक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया जा रहा है।

उत्तराखंड पुलिस के मुखिया डीजीपी अभिनव कुमार द्वारा महिला सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई है। वही पौड़ी जिले में एसएसपी श्वेता चौबे के द्वारा महिला सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया जा रहा है। एसएसपी श्वेता चौबे द्वारा बताया गया कि गोरा शक्ति ऐप और डायल 112 के प्रचार प्रसार हेतु पौड़ी जिले के विभिन्न महाविद्यालय और स्कूलों में समय–समय पर जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशाला आयोजित की जाती है। जिससे जिले की लड़कियां और महिलाएं अपने हितों के प्रति जागरूक हो सके। साथ ही साथ एसपी श्वेता चौबे द्वारा बताया गया कि पौड़ी गढ़वाल जिले के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर सोशल मीडिया साइट के माध्यम से भी समय–समय पर जागरूकता बैनर के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, ताकि पौड़ी जिले में हर जगह महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके।

सोशल मीडिया के इस दौर में जब आज सभी के हाथ में मोबाइल है, तब उत्तराखंड पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु गौरा शक्ति ऐप बनाया गया जिसके माध्यम से अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घटित होती है, या दुर्घटना होने की संभावना होती है तो आप ऐप के SOS बटन के माध्यम से अपनी शिकायत को ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इसी प्रकार उत्तराखंड सरकार द्वारा डायल 112 के माध्यम से भी महिला सुरक्षा के क्षेत्र में अपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। पौड़ी पुलिस की मुखिया एसएसपी श्वेता चौबे द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा महिला पुलिस कांस्टेबल और इंस्पेक्टर की पिक यूनिट इकाइयों का गठन किया गया है। जिनके माध्यम से स्कूल कॉलेज के बाहर साधारण वेशभूषा में उनकी तैनाती की जाती है। जिससे लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही साथ एसएसपी श्वेता चौबे द्वारा कहा

गया कि पौड़ी जिले के समस्त 14 थानों में 14 महिला हेल्प डेस्क बनाए गए हैं जिसमें महिला सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल के द्वारा ही शिकायतों को दर्ज किया जाता है।

कोटद्वार में महिला हेल्प डेस्क की मुखिया सब इंस्पेक्टर ममता मखलोगा के द्वारा बताया गया कि महिला थानों में जितनी भी शिकायत दर्ज होती है उन पर त्वरित करवाई दर्ज की जाती है, साथ ही पोक्सो एक्ट के मामले में शीघ्रता से जांच संपादित की जाती है। आपने बताया कि महिला शिकायतों के संबंध में पारदर्शिता लाने के लिए जिले स्तर से ऐच्छिक समिति का गठन किया गया है, जिसमें सीओ सिटी के अलावा शहर के गणमान्य व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया गया है, ताकि पीड़िता को निष्पक्ष और त्वरित न्याय मिल सके।

पौड़ी जिले में सब इंस्पेक्टर संदीप बिष्ट ने जिला अपराध रिकार्ड ब्यूरो (DCRB) के वर्ष 2023 के महिलाओं के रिकार्ड उपलब्ध कराए है। निम्नांकित टेबल के माध्यम से पौड़ी जिले के वर्ष 2023 में घटित हुई महिलाओं से संबंधित अपराधों को देखा जा सकता है। जिला अपराध रिकार्ड ब्यूरो पौड़ी गढ़वाल द्वारा उपलब्ध कराए गए 2023 के महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में कुल पंजीकृत अपराधों की संख्या 98 थी जिनमें 56 पर चार्ट शीट दाखिल गई की गई और 24 पर अंतिम रिपोर्ट जमा की गई जबकि 18 अपराध अभी लंबित चल रहे हैं।

**महिला संबंधित अपराध का विवरण दिनांक 01–01–2023 से 31–12–2023 तक जिला अपराध रिकार्ड ब्यूरो (DCRB) पौड़ी गढ़वाल द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार**

| क्र0सं0 | अपराध शीर्षक | कुल पंजीकृत अपराध | आरोप पत्र | अन्तिम रिपोर्ट | लम्बित |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हत्या | 01 | 01 | . | . |
| 2 | बलात्कार / बलात्काकर के साथ पोक्सो | 13 | 10 | . | 03 |
| 3 | अन्य धाराओं के साथ पोक्सो जैसे 354,370,372,377 अपहरण आदि | 07 | 07 | . | . |
| 4 | केवल पोक्सो अधिनियम | 03 | 03 | . | . |
| 5 | दहेज हत्या | 01 | . | . | 01 |
| 6 | 498 ए भादवि (भारतीय दंड संहिता) | 04 | 04 | . | . |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | अपहरण | 19 | 03 | 16 | . |
| 8 | शीलभंग | 15 | 09 | 03 | 03 |
| 9 | चैन स्नैचिंग | 01 | 01 | . | . |
| 10 | 307 भादवि (भारतीय दंड संहिता) | 01 | 01 | . | . |
| 11 | 306 भादवि (भारतीय दंड संहिता) | 03 | 01 | . | 02 |
| 12 | गम्भीर चोट | 02 | 02 | . | . |
| 13 | अन्य भादवि (भारतीय दंड संहिता) | 13 | 05 | 04 | 04 |
| | कुल योग भादवि | 83 | 56 | 23 | 13 |
| 1 | Online sexual harassment IT Act | 01 | 01 | . | . |
| 2 | दहेज अधिनियम | 11 | 06 | . | 05 |
| 3 | एससी / एसटी एक्ट | 01 | . | 01 | . |
| 4 | मुस्लिम विवाह अधिनियम | 01 | 01 | . | . |
| 5 | उत्तराखण्ड धार्मिक स्व0 अधिनियम–2018 | 01 | 01 | . | . |
| | **कुल महिला सम्बन्धी अभियोग** | **98** | **56** | **24** | **18** |

- उपरोक्त सारणी के अनुसार पौड़ी जिले में वर्ष 2023 में महिलाओं की हत्या से संबंधित एक ही मामला दर्ज हुआ है जिस पर पुलिस द्वारा जांच करके आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है।
- बलात्कार और बलात्कार के साथ पोक्सो एक्ट के तहत जिले में 13 अपराध पंजीकृत हुए हैं जिसमें से 10 पर जांच करके आरोप पत्र दाखिल कर दिए गए हैं और तीन मामले अभी साक्ष्य के अभाव में लंबित चल रहे हैं।
- अन्य धाराओं के साथ पोक्सो और अपहरण के 07 मामले जिले में पंजीकृत हुए हैं जिसमें 07 मामलों पर जांच करके पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है।
- केवल पोक्सो अधिनियम के तहत जिले में 03 मामले दर्ज किए गए हैं, जिन पर तीनों पर जांच करके तीनों मामलों पर आरोप पत्र दाखिल कर दिए गए हैं।
- दहेज हत्या का 01 मामला जिले में दर्ज किया गया है। जिसमें साक्ष्य के अभाव में अभी मामला लंबित चल रहा है।
- भारतीय दंड विधान 498 ए के तहत 04 मामले दर्ज किए गए हैं। 04 पर जांच करके आरोप पत्र दाखिल कर दिए गए हैं।

- जिले में अपहरण के 19 मामले पंजीकृत हुए हैं जिस पर 03 मामलों पर जांच करके आरोप पत्र दाखिल कर दिए गए हैं और 16 पर अंतिम रिपोर्ट दी गई है।
- जिले में शीलभंग के 15 मामले दर्ज हुए हैं जिस पर 9 पर जांच करके आरोप पत्र दाखिल कर दिए गए हैं। 03 मामलों पर अंतिम रिपोर्ट दर्ज की गई है और 03 मामले साक्ष्य के अभाव में लंबित चल रहे हैं।
- चैन स्नेचिंग का 01 मामला जिले में दर्ज हुआ है जिस पर जांच करके आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत 01 मामला दर्ज हुआ है जिस पर जांच करके आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत तीन मामले दर्ज किए गए हैं। जिसमें एक पर आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है और 02 मामले साक्ष्य के अभाव में लंबित चल रहे हैं।
- जिले में गंभीर चोट के 02 मामले दर्ज किए गए हैं, दोनों पर जांच करके आरोप पत्र दाखिल कर दिए गए हैं।
- भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत 13 मामले दर्ज किए गए हैं। जिनमें से 05 पर आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं, 04 पर अंतिम रिपोर्ट दर्ज गई है, और 04 मामले साक्ष्य के अभाव में लंबित चल रहे हैं।
- Online sexual harassment IT Act के तहत जिले में 01 मामला पंजीकृत हुआ जिस पर जांच करके आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया।
- दहेज अधिनियम के तहत जिले में 11 मामले पंजीकृत हुए जिसमें 06 पर जांच करके आरोप पत्र दाखिल किए गए तथा साक्षी के अभाव में 05 मामले लंबित चल रहे हैं।
- एससी एसटी एक्ट के तहत जिले में 01 मामला पंजीकृत हुआ। जिस पर अंतिम रिपोर्ट दर्ज कर दी गई।
- मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत जिले में 01 मामला पंजीकृत हुआ जिस पर जांच करके आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया।
- उत्तराखंड धार्मिक स्व0 अधिनियम 2018 के तहत 01 मामला पंजीकृत हुआ जिस पर जांच करके आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया।
- इस प्रकार पौड़ी जिले में 01—01—2023 से 01—12—2023 तक महिलाओं से संबंधित कुल 98 मामले दर्ज हुए जिस पर जांच करके 56 मामलों पर आरोप पत्र दाखिल कर दिए गए हैं, 24 मामलों पर अंतिम रिपोर्ट दर्ज की गई है, और साक्ष्य के अभाव में 18 मामले लंबित चल रहे हैं।

जिला अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्राप्त आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि उपरोक्त आंकड़ों में सर्वाधिक आंकड़े बलात्कार और अपहरण से संबंधित है। एनसीआरबी द्वारा जारी 'क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022' के अनुसार उत्तराखंड राज्य में पिछले 3 वर्षों में महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाली अपराधों में वृद्धि हुई है। जब हमने इसके पीछे छुपी वास्तविकता को जानने का प्रयास किया तो हमें पता चला कि उत्तराखंड की सरकार महिला सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ी गंभीरता से कार्य कर रही है महिलाओं की सुरक्षा हेतु सरकार ने उत्तराखंड पुलिस ऐप, गोरा शक्ति ऐप. डायल 112, पिंक यूनिट, और ऑपरेशन आवाज के जरिए महिला सुरक्षा के क्षेत्र में काम किया है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा हर जिले में स्कूल, महाविद्यालय और सार्वजनिक स्थलों में जा जाकर महिलाओं को इन ऐप में के संबंध में जागरूक किया जा रहा है, जिससे महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है। एसएसपी श्वेता चौबे का कहना था कि महिलाओं के अंदर अपराधों की शिकायत करने के प्रति झिझक को मिटाने की कोशिश कर रही है और उसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। महिलाएं जागरूक होकर अपने अधिकारों को प्रयोग में ला रही है। आपका कहना था कि अपराध पहले भी होते थे लेकिन कहीं न कहीं जागरूकता के अभाव और महिलाओं के अंदर झिझक होने के कारण वह अपराधों को पंजीकृत नहीं करती थी।

उत्तराखंड पुलिस महिला सुरक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाती है, जिसमें विशेष इकाइयों का गठन, महिला शिकायत प्रकोष्ठ, संवेदनशील पुलिस अधिकारी, जागरूकता अभियान, और हेल्पलाइन जैसे उपाय शामिल हैं। इन प्रयासों से महिला सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है और समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाता है। प्रस्तुत अध्ययन में हमने जिला पौड़ी से प्राप्त आंकड़ों में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों का विश्लेषण किया। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रशासन और सरकार के द्वारा महिला सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, परंतु अभी भी जागरूकता की आवश्यकता है। जनता के विश्वास को जीतने के लिए ऐसे मामलों पर फास्ट्रेक कोर्ट के माध्यम सुनवाई जानी चाहिए। इन प्रयासों से महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है।

## सुझाव

- ऐसी फिल्मों एवं धारावाहिकों पर प्रतिबंध लगाया जाए जो लैंगिक अपराधों को बढ़ावा देते हैं।
- सरकार को माध्यमिक पाठ्यक्रम में सेक्स एजुकेशन को लागू किया जाना चाहिए।
- अपराधी व्यक्ति की पहचान बताने वाले को इनाम की राशि एवं सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे भविष्य में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में त्वरित कार्यवाही संपादित की जा सके।
- महाविद्यालय स्तर पर सेक्स एजुकेशन के साथ साथ वूमेनशडिफेंस एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए।
- बलात्कार और अपहरण संबंधी मामलों पर फास्ट्रेक कोर्ट के माध्यम से निर्णय होने चाहिए।

## विशेष आभार

मैं अपने शोध कार्य की सफलता के लिए सब इंस्पेक्टर ममता मखलोगा एवं सब इंस्पेक्टर संदीप बिष्ट के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करती हूं।

इस शोध के दौरान जब मुझे जनपद पौड़ी के महिला सुरक्षा से संबंधित तथ्यों को एकत्र करने की आवश्यकता हुई, तब इन दोनों अधिकारियों ने न केवल मुझे आवश्यक आंकड़ों एवं रिपोर्टों तक पहुँचने में मदद की, बल्कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल कर स्थानीय परिप्रेक्ष्य, जमीनी स्तर पर हो रहे प्रयासों, तथा महिला सुरक्षा के संदर्भ में पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली से भी मुझे अवगत कराया।

सब इंस्पेक्टर ममता मखलोगा ने महिला अपराधों की प्रकृति, रिपोर्टिंग पैटर्न और पीड़िता से संबंधित संवेदनशील जानकारी को समझने में मेरी विशेष सहायता की। वहीं सब इंस्पेक्टर संदीप बिष्ट ने डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (DCRB), 2023 से संबंधित आंकड़ों की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया कि पुलिस द्वारा किस प्रकार रोकथामात्मक एवं संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। उनके सहयोग के बिना इस शोध में सांख्यिकीय निष्कर्ष और मौजूदा परिस्थितियों की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करना संभव नहीं होता।

मैं उनके सहयोग, मार्गदर्शन और तत्परता के लिए उनकी आभारी हूं।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

Misra, seema "The Silent Screams: The Women's Struggle for Safety in India" Routledge India, 2020.

Mary P. Koss, Laura Heise, Lori Heise, "No Safe Place: Women and Domestic Violence" American Psychological Association,1994.

Kannabiran, Kalpana "Gender Violence and Women’s Rights in India", Oxford University Press , 2021.

पटेल, अनीता ने ‘‘महिला उत्पीड़न का सिलसिला कब तक योजना’’ शोध–पत्र, वॉल्यूम 4–6 नवम्बर,(2002)

सिंह, अनुपम महिला सशक्तिकरण के अधिनियम का सामाजिक शोध अप्रकाशित शोध–प्रबंध, समाजशास्त्र, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (उत्तर प्रदेश), 2011

सिंह एन0 एवं विश्नोई, आर0, आजमगढ़ जनपद में महिलाओं एवं लडकियों पर होने वाली घरेलू हिंसा से अभिप्राय ए जर्नल ऑफ एडवांस इन मैनजमेंट आईटी एण्ड सोशल सांइसेस वॉल्यूम –5 (7), पृष्ठ सं0 9–14, 2015

सिंह, धर्मेन्द्र कुमार ''महिला यौन उत्पीड़न : समाजशास्त्रीय अध्ययन (वाराणसी नगर के महिलाओं पर आधारित)'', *प्रकाशित पी0एच0डी0 शोध–प्रबन्ध,* समाजशास्त्र संकाय, वीर बहादुर सिंह पूर्वाचंल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उत्तरप्रदेश),2016

Viswanath Kalpana and Bansal Gaurav Jyoti "Women's Safety in Indian Cities: From Concept to Action", Publisher: Routledge, Year: 2018.

"Safe Cities: Free from Violence against Women and Girls" by UN Women, Publisher: United Nations, Year: 2018.

Anissa Talahite and Niharika Banerjea "Gender-Based Violence: Perspectives from Africa, the Middle East, and India" edited by, Publisher: Routledge, Year: 2019.

https://ncrb.gov.in/crime-in-india.html

District Crime Record Bureau , Pauri Garhwal, Uttarakhand.

https://facebook.com/pauripolice

https://timesofindia.indiatimes.com/city/dehradun/uttarakhand-tops-himalayan-states-in-cases-of-rape-ncrb-report-2022/articleshow/105741792.cms